कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक– 1142 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 19-11- 2024.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

विषय:– जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/98 दिनांक–05.08.2024, पत्रांक–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक–27.08.2024, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–358/11–सी दिनांक–06.08.2024 तथा पत्रांक–568/11–सी दिनांक–28.08.2024, इस कार्यालय के पत्रांक–540/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–05.09.2024, आपके कार्यालय के पत्रांक–1179 /671457 पी0एम0जी0एस0वाई0/2024 दिनांक–14.11.2024 तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक–83/ओबरा/15 दिनांक–19.11.2024.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–1115/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–16.11.2024 द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ तथा आपसे समन्वय स्थापित कर, अपने कार्यालय के पत्रांक–39/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 05.09.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का पुनः परीक्षण कर आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को निर्देशित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक–83/ओबरा/15 दिनांक–19.11.2024 द्वारा आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि "पूर्व में विषयक सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले 34 वृक्षो के पातन के सापेक्ष 340 पटरी वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया गया था। जिसे तत्समय में आन लाईन 'परिवेश–1' पोर्टल पर अपलोड किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/98 दिनांक–05.08.2024 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किया गया है तथा पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक–27.08.2024 द्वारा शर्त संख्या 2 व 5 को संशोधित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग से धनराशि की मांग करने हेतु रिपोर्ट/आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–39/ओबरा/15 दिनांक–05.09.2024 द्वारा महोदय के कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिसमे भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 14 के क्रम में विषयक सम्पर्क मार्ग के दोनो तरफ उपलब्ध क्षेत्र में कुल 530 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में महोदय के कार्यालय के पत्रांक–540/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक–05.09.2024 द्वारा प्रस्तावक विभाग को मांग पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा महोदय द्वारा प्रेषित मांग पत्र पर आपत्ति लगाते हुए, अपने कार्यालय के पत्रांक–751/11–सी दिनांक–13.09.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रक्कलन तैयार कर, संशोधित मांग पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।" उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक–83/ओबरा/15 दिनांक–19.11.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/रिपोर्ट के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित धनराशि का भुगतान किया जाना है:–

बिन्दु संख्या–2:–बिन्दु संख्या–2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में धनराशि मु0 89,12,721.00.00 (नवासी लाख बारह हजार सात सौ इक्कीस रुपये मात्र) रुपये का प्राक्कलन संलग्न है।

(संलग्नक–1) उक्त धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या 4:–इस बिन्दु के अनुपालन में विषयक सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567है0 वन भूमि के सापेक्ष ग्राम–जुगैल में चयनित 15.567है0 गैर वन भूमि वन विभाग को सौपने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या 6:– इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव के साथ संलग्न एन0पी0वी0 की गणना के अनुसार, प्रभावित होने वाली 15.567है0 वन भूमि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक–06.01.2022 द्वारा निर्धारित धनराशि 9,57,780.00 प्रति है0 की दर से 9,57,780. 00x15.567 = 1,49,09,762.00 (एक करोड़ उन्चास लाख नौ हजार सात सौ बासठ रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या 8:–इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित कुल 34 वृक्षों का गणना/छपान किया जाना है। प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–77/16–57 दिनांक–07.08.2013 से छपान हेतु निर्धारित 23.00/प्रति पौध निर्धारित किया गया है। उक्त के क्रम में कुल 782.00 (सात सौ बयासी रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक राबर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पातन हेतु कुल देय अनन्तिम धनराशि 1,63,450.00 (एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चास रुपये मात्र) रुपये का भुगतान निम्नलिखित खाते में करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध करानें का कष्ट करें:–

Name of Beneficiary	Managing Director, U.P. Forest Corporation
A/C No.	29690200015824
IFSC Code	BARB0INDIRA
Bank and Branch	Bank of Baroda, Munshi Pulia, Indra Nagar Lucknow

उल्लेखनीय है कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, रेनुकूट– सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक–730/उत्पादन सामान्य दिनांक–02.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ के पत्रांक उ0–2264/कार्यदायी संस्था/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/दिनांक–28.08.2024 के अनुसार देय धनराशि अनन्तिम है, जिसका अन्तिम रुप से वृक्षों की विक्रय सूची एवं छपान सूची प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध हो सकेगा। अतः पातन की उक्त धनराशि की मांग अनन्तिम है। वृक्षों की विक्रय सूची एवं छपान सूची प्राप्त होने के उपरान्त यदि धनराशि में वृद्धि होती है तो उसका मांग पत्र अलग से प्रेषित किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–9:– इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में परामर्श एवं मार्गदर्शन देने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–503/ओबरा/15 भू0है0 दिनांक–02. 09.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 कानपुर से अनुरोध किया गया है। परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अलग से अवगत कराया जायेगा।

बिन्दु संख्या–10:– इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित कुल 3 स्थलो (गैर वन भूमि ग्राम–जुगैल 4.00है0, अवनत वन भूमि जुगैल कं0नं0 7–13.134 व डाला कं0नं0–10.00है0) पर सौर पम्प स्थापना हेतु कुल 2100,000.00 (इक्कीस लाख रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या–14:– इस बिन्दु के अनुपालन में विषयक सम्पर्क मार्ग के दोनो तरफ कुल 530 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण हेतु कुल 24,45,961.00 (चौबीस लाख पैतालीस हजार नौ सौ इकसठ रुपये मात्र) का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः बिन्दु संख्या 14 के अनुपालन में 24,45,961.00 (चौबीस लाख

पैतालीस हजार नौ सौ इकसठ रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 2, 6, 10 व 14 द्वारा वांछित कुल धनराशि मु0 2,83,68,444.00 (दो करोड़ तिरासी लाख अरसठ हजार चार सौ चौवालिस रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा बिन्दु संख्या–8 द्वारा वांछित धनराशि कुल 782.00 (सात सौ बयासी रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा भारतीय वन स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पातन हेतु कुल देय अनन्तिम धनराशि 1,63,450.00 (एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चास रुपये मात्र) रुपये का भुगतान निम्नलिखित खाते में करने करने का करें:–

Name of Beneficiary	Managing Director, U.P. Forest Corporation
A/C No.	29690200015824
IFSC Code	BARB0INDIRA
Bank and Branch	Bank of Baroda, Munshi Pulia, Indra Nagar Lucknow

साथ ही साथ भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–05.08.2024 द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में मय संलग्नक सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी /यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/98 दिनांक–05.08.2024, पत्रांक–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0 /110 दिनांक–27.08.2024 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 1142 अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ महोदय को अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित होने वाली कुल 34 वृक्षो के छपान की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के खाते में तथा पातन हेतु व्यय से सम्बन्धित धनराशि वन निगम के खाते में भुगतान किया जाना प्रचलन में है। अतएव उपरोक्तानुसार प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया है। यदि उक्त धनराशि कैम्पा में जमा किया जाना हो तो दिशा–निर्देश देने की कृपा करें।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, रेनुकूट– सोनभद्र को उनके पत्र संख्या–730/उत्पादन सामान्य दिनांक–02.09.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को उनके पत्र संख्या–83/ओबरा/15 दिनांक–19.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा उप वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक– 83 /ओबरा/15 दिनांक– 19-11-2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा–सोनभद्र।

विषयः– जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567है0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/98 दिनांक–05.08.2024, आपके कार्यालय के पत्रांक–1115/ओबरा /15 दिनांक–02.09.2024, इस कार्यालय के पत्रांक–82/ओबरा/15 दिनांक–18.11.2024 तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक–78/ओबरा/15 दिनांक–18.11.2024.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विषयक प्रकरण में प्रस्तावक विभाग को मांग पत्र प्रेषित करनें के सम्बन्ध में रिपोर्ट/आख्या उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–82/ओबरा/15 दिनांक–16.11.2024 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओबरा एवं जुगैल को निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक–78/ओबरा/15 दिनांक–18.11.2024 द्वारा संयुक्त आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त आख्या/रिपोर्ट के अनुसार महोदय को अवगत कराना है कि पूर्व में विषयक सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले 34 वृक्षों के पातन के सापेक्ष 340 पटरी वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया गया था। जिसे तत्समय में आन लाईन 'परिवेश–1' पोर्टल पर अपलोड किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/98 दिनांक –05.08.2024 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किया गया है तथा पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक–27.08.2024 द्वारा शर्त संख्या 2 व 5 को संशोधित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग से धनराशि की मांग करनें हेतु रिपोर्ट/आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–39/ओबरा/15 दिनांक–05.09.2024 द्वारा महोदय के कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिसमे भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 14 के कम में विषयक सम्पर्क मार्ग के दोनो तरफ उपलब्ध क्षेत्र में कुल 530 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया गया था। जिसके कम में महोदय के कार्यालय के पत्रांक–540/ओबरा/15भू0है0 दिनांक–06.09.2024 द्वारा प्रस्तावक विभाग को मांग पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा महोदय द्वारा प्रेषित मांग पत्र पर आपत्ति लगाते हुए, अपने कार्यालय के पत्रांक–751/11–सी दिनांक–13.09.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रक्कलन तैयार कर, संशोधित मांग पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। जिसके कम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग से निम्नलिखित धनराशि की मांग किया जाना आवश्यक होगाः–

बिन्दु संख्या–2:–बिन्दु संख्या–2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में धनराशि मु0 89,12,721.00.00 (नवासी लाख बारह हजार सात सौ इक्कीस रुपये मात्र) रुपये का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उक्त धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड

में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या 3:–इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि की मांग बिन्दु संख्या–2 में किया गया है। जिसके प्राक्कलन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 15.567है0 गैर वन भूमि में घेरबाड़ हेतु आर0सी0सी0 खम्भे एवं कांटेदार तार की धनराशि सम्मिलित है।

बिन्दु संख्या 4:–इस बिन्दु के अनुपालन में विषयक सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567है0 वन भूमि के सापेक्ष ग्राम–जुगैल में चयनित 15.567है0 गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या 6:–इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव के साथ संलग्न एन0पी0वी0 की गणना के अनुसार प्रभावित होने वाली 15.567है0 वन भूमि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक–06.01.2022 द्वारा निर्धारित धनराशि 9,57,780.00 प्रति है0 की दर से 9,57,780.00 x 15.567 =1,49,09,762.00 (एक करोड़ उन्चास लाख नौ हजार सात सौ बासठ रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या 8:–इस शर्त के अनुपालन में अगवत कराना है कि परियोजना में प्रभावित कुल 34 वृक्षों का गणना/छपान किया जाना है। प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–77/16–57 दिनांक–07.08.2013 से छपान हेतु 23.00/प्रति पौध निर्धारित किया गया है। उक्त के कम में कुल 782.00 (सात सौ बयासी रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक राबर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पातन हेतु कुल देय अनन्तिम धनराशि 1,63,450.00 (एक लाख तिरसठ हजार बार सौ पच्चास रुपये मात्र) रुपये का भुगतान निम्नलिखित खाते में करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करने की कृपा करें:–

Name of Beneficiary	Managing Director, U.P. Forest Corporation
A/C No.	29690200015824
IFSC Code	BARB0INDIRA
Bank and Branch	Bank of Baroda, Munshi Pulia, Indra Nagar Lucknow

उल्लेखनीय है कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, रेनुकूट– सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक–730/उत्पादन सामान्य दिनांक–02.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ के पत्रांक उ0–2264/कार्यदायी संस्था/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/दिनांक–28.06.2024 के अनुसार देय धनराशि अनन्तिम है, जिसका अन्तिम रुप से वृक्षों की विकय सूची एवं छपान सूची प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध हो सकेगा। अतः पातन की उक्त धनराशि की मांग अनन्तिम है। वृक्षों की विकय सूची एवं छपान सूची प्राप्त होने के उपरान्त यदि धनराशि में वृद्धि होती है तो उसका मांग पत्र अलग से प्रेषित किया जायेगा। मांग पत्र में उक्त तथ्यों का उल्लेख करनें की कृपा करें।

बिन्दु संख्या–9:– इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में परामर्श एवं मार्गदर्शन देने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा महोदय के कार्यालय के पत्रांक–503/ओबरा/15 भू0व0 दिनांक–02.09.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन

संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 कानपुर से अनुरोध किया गया है। परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को अवगत कराने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या–10:– इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित कुल 3 स्थलो (गैर वन भूमि ग्राम–जुगैल 4.00है0, अवनत वन भूमि जुगैल कं0नं0 7–13.134 व डाला कं0नं0–10.00है0) पर सौर पम्प स्थापना हेतु कुल 2100,000.00 (इक्कीस लाख रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करनें की कृपा करें।

बिन्दु संख्या–13:–इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम) 1980 को उल्लंघन नहीं किया गया है।

बिन्दु संख्या–14:– इस बिन्दु के अनुपालन में विषयक सम्पर्क मार्ग के दोनो तरफ कुल 530 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण हेतु कुल 24,45,961.00 (चौबीस लाख पैतालीस हजार नौ सौ इकसठ रुपये मात्र) का प्रस्ताव तैयार किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है) अतः बिन्दु संख्या 14 के अनुपालन में 24,45,961.00 (चौबीस लाख पैतालीस हजार नौ सौ इकसठ रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या–16 :–इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयक सम्पर्क मार्ग में अण्डर ओवर पास की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बिन्दु संख्या–21:– बिन्दु संख्या 21 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना है। अतः उक्त वन क्षेत्र को सीमांकित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 2, 6, 10 व 14 द्वारा वांछित कुल धनराशि मु0 2,83,68,444.00 (दो करोड़ तीरासी लाख अरसठ हजार चार सौ चौवालिस रुपये मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में भुगतान करते हुए, भुगतान रसीद की प्रति उपलब्ध करानें हेतु तथा बिन्दु संख्या–8 द्वारा वांछित धनराशि कुल 782.00 (सात सौ बयासी रुपये मात्र) का बैंक डापट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराने हेतु तथा पालन हेतु कुल देय अनन्तिम धनराशि 1,63,450.00 (एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चास रुपये मात्र) रुपये का भुगतान निम्नलिखित खाते में करने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करने की कृपा करें:–

Name of Beneficiary	Managing Director, U.P. Forest Corporation
A/C No.	29690200015824
IFSC Code	BARB0INDIRA
Bank and Branch	Bank of Baroda, Munshi Pulia, Indra Nagar Lucknow

साथ ही साथ भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–05.08.2024 द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नक सहित उपलब्ध करानें हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध करने की कृपा करें।

भवदीय

(मयंक पाण्डेय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा।

पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी067145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकाड़ी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य के सापेक्ष ग्राम–जुगैल, अगोरी, तहसील–ओबरा, जनपद सोनभद्र में चयनित कुल 15.5670हे0 गैर वन भूमि में से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त 4.00 हे0 गैर वन भूमि तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अनुपयुक्त 11.567हे0 क्षेत्र के बदले दूगने अवनत वन भूमि 23.134हे0 क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन:–

क0 सं0 (अ)	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल हे0 में	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	ओबरा वन प्रभाग	जुगैल	ग्राम–जुगैल (गैर वन भूमि)	4.000	20.72690	29.68743
2	ओबरा वन प्रभाग	जुगैल	जुगैल–7 (अवनत वन भूमि)	13.134	23.64665	33.74609
3	ओबरा वन प्रभाग	डाला	डाला–8 (अवनत वन भूमि)	10.000	18.00415	25.69369
			योग:–	**27.134**	**62.37770**	**89.12721**

संलग्नक:– वर्षवार मॉडल प्राक्कलन (गैर वन भूमि एवं अवनत वन भूमि)।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-जुगैल
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने हेतु व्यय के प्राक्कलन का सारांशः–

वर्ष	कार्य का नाम	भौतिक (है0 में)	वर्तमान दर के अनुसार वॉछित धनराशि (लाख में)	10 प्रतिशत मंहगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजंसी से वॉछित धनराशि (3 X 4)
प्रथम	अग्रिम मृदा कार्य	10	4.64652	1	4.64652
द्वितीय	वृक्षारोपण कार्य	10	2.14520	1.1	2.35972
तृतीय	प्रथम अनुरक्षण कार्य	10	2.00234	1.21	2.42283
चतुर्थ	द्वितीय अनुरक्षण कार्य	10	2.06346	1.331	2.74647
पंचम	तृतीय अनुरक्षण कार्य	10	2.14072	1.4641	3.13423
षष्ठम	चतुर्थ अनुरक्षण कार्य	10	1.00604	1.6105	1.62023
सप्तम	पंचम अनुरक्षण कार्य	10	1.12609	1.7716	1.99498
अष्टम	षष्टम अनुरक्षण कार्य	10	0.85063	1.9488	1.65771
नवम	सप्तम अनुरक्षण कार्य	10	0.85063	2.1437	1.82350
दशम	अष्टम अनुरक्षण कार्य	10	0.42119	2.3581	0.99321
एकादश	नवम् अनुरक्षण कार्य	10	0.42119	2.5939	1.09252
द्वादश	दशम अनुरक्षण कार्य	10	0.42119	2.8533	1.20178
योग			**18.09520**		**25.69369**

नोटः– उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 02/2024/707/36–03–2024–1618905 दिनांक 09.07.2024 द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर 237.00 निर्धारित किया गया है, तद्नुसार प्राक्कलन तैयार करते समय मजदूरी दर 237.00 के अनुसार दर प्रस्तावित/संशोधित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–जुगैल
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र ।

प्राक्कलन माडल (अवनत वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र –अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग। | योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

क्षेत्रफल– 10 हे0 | रोपित पौधो का लक्ष्य– 3500

गड्ढों की संख्या– 3500 | पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 7500

बोना नाली की संख्या– 2500 | कुल पौधो की संख्या–11000

सुरक्षा खाई– 1200 र0मी0 | मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण	प्र0हे0	10	63.57	635.65
2	क्षेत्र की स्थल सफाई लैण्टाना युक्त 50 % से अधिक घनत्व	प्र0हे0	10	4086.64	40866.39
3	अ. रेखांकन बोना नाली	प्र0सं0	2500	159.18	3979.40
	ब. रेखांकन गड्ढा	प्र0सं0	3500	48.11	1683.83
4	अग्रिम मृदा कार्य				
	अ– बोना नाली (3.00x0.60x0.45) मी0 (श्रमिक द्वारा)	प्र0बो0ना0	880	89.85	79068.77
	ब– बोना नाली (3.00x0.60x0.45) मी0 (यांत्रिक विधि द्वारा)	प्र0बो0ना0	1620	69.46	112525.20
	स– गड्ढा खुदान (0.45x0.45x0.45) मी0	प्र0ग0	3500	12.26	42916.16
	द– सुरक्षा खाई (1.20+0.90/2)x1.00 मी0 (यांत्रिक विधि द्वारा)	प्र0र0मी0	1030	109.85	113145.50
	य– सुरक्षा खाई (1.20+0.75/2)x1.00 मी0 (श्रमिक द्वारा)	प्र0र0मी0	170	116.72	19843.03
5	पौध उगान प्रति हे0 550 पौध	प्रति पौध	5500	5.18	28490.00
6	3.00 मी0 चौड़ा निरीक्षण मार्ग का निर्माण	प्र0किमी0	1	5705.49	5705.49
7	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र0हे0	10	197.16	1971.60
8	प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य	प्र0 हे0	10	692.11	6921.09
9	अन्य विविध व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0	प्रति हे0	10	690.00	6900.00
		योग–			464652.12
		या–			464652.00

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-गुरमा
ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र ।

प्राक्कलन माडल (अवनत वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– 10 हे0
गड्ढों की संख्या– 3500
बोना नाली की संख्या– 2500
सुरक्षा खाई– 1200 रा0मी0

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 3500
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 7500
कुल पौधो की संख्या–11000
मजदूरी दर– रू0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढे का भरान कार्य	प्र0ग0	3500	1.41	4940.77
2	ड्रेसिंग कार्य बोना नाली	प्र0ना0	2500	3.12	7805.28
3	ड्रेसिंग कार्य सुरक्षा खाई	प्र0र0मी0	1200	1.95	2336.95
4	बीज मूल्य (बोना नाली)	प्र0बो0ना0	2500	5.90	14750.00
5	बीज मूल्य (सुरक्षा खाई)	प्र0र0मी0	1200	2.40	2880.00
6	बीज बुआई कार्य बोनानाली पर	प्र0ना0	2500	2.24	5589.92
7	बीज बुआई कार्य सुरक्षा खाई पर	प्र0र0मी0	1200	1.65	1978.37
8	पौध अनुरक्षण कार्य	प्र0पौध	5500	1.76	9680.00
9	पौध ढुलान कार्य (3% अतिरिक्त) लदाई उतराई सहित छोटी	प्र0पौध	3605	3.34	12040.70
10	पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	3500	2.83	9917.60
11	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	3500	3.12	10927.39
12	रोपित पौधो की निराई गुड़ाई कार्य वर्ष मे 03 बार	प्र0सी0पी0	3500	106.12	11142.69
13	बोना नाली निराई गुड़ाई का वर्ष मे 03 बार	प्र0सी0पी0	2500	389.09	29181.70
14	सुरक्षा खाई की निराई गुड़ाई एक बार	प्र0र0मी0	1080	1.30	1402.17
15	रोपवानी प्रहरी का पारिश्रमिक जुलाई से मार्च	प्रति दिन	234	236.99	55456.13
16	रोपवनी बोर्ड एवं गेट के निर्माण एवं लगवाई सहित	प्र0 क्षेत्र	1	5323.18	5323.18
17	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र0हे0	10	197.16	1971.60
18	25 ग्राम यूरिया का छिड़काव 02 बार (एक बार अगस्त एवं दूसरा शीतकालीन वर्षा के बाद)	प्र0 गड्ढा प्र0बार	350	0.71	497.00
19	वर्ष मे पौधों की लाइन में 01 मी0 चौड़ाई में घास कटाई रोपवनी	प्र0हे0	10	1003.38	10033.83
20	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	10	692.11	6921.09
21	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 कि0मी0	1	2843.90	2843.90
22	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0	प्र0हे0	10	690.00	6900.00
		योग–			214520.27
		या–			214520.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–जुगैल
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

प्राक्कलन माडल (अवनत वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – प्रथम अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– 10 हे0
गड्ढों की संख्या– 3500
बोना नाली की संख्या– 2500
सुरक्षा खाई– 1200 र0मी0

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 3500
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 7500
कुल पौधो की संख्या–11000
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	10 प्रतिशत असफल गड्ढों मे पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध ढुलान कार्य	प्र0पौ0	360	3.34	1202.40
2	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	350	2.83	991.76
3	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	350	3.12	1092.74
4	सफल गड्ढा पौध के थावलों की मरम्मत	प्र0ग0	3150	1.95	6134.49
5	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 सें0मी0 गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन ।	प्र0सै0	250	225.20	563.01
6	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्र0नाली	250	5.90	1475.00
7	गड्ढो पौध की निराई–गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य 03 बार	प्र0सै0	3500	106.12	11142.69
8	बोना नाली निराई गुड़ाई को वर्ष में 02 बार	प्र0सै0पौ0	2500	317.75	15887.74
9	बोना नालियों की शीत कालीन निराई–गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र0सै0	2500	211.06	5276.42
10	दो वर्षों की खुदी सुरक्षा खाई की उगरवाई औसत 30 प्रतिशत	प्र0र0मी0	350	21.10	7385.91
11	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी0 चौड़ाई में घास काटना	प्र0हे0	10	1003.38	10033.83
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र0दिवस	312	236.99	73941.50
13	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र0हे0	10	197.16	1971.60
14	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 किमी0	1	2843.90	2843.90
15	पुनः उगी लैण्टाना झाड़ी की सफाई 25 प्रतिशत से कम	प्र0हे0	10	2042.24	20422.42
16	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	10	692.11	6921.09
17	25 ग्राम यूरिया का छिड़काव 02 बार (एक बार अगस्त एवं दूसरा शीतकालीन वर्षा के बाद)	प्र0 पौ0 प्र0बार	11000	0.71	15620.00
18	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 16 फरवरी से 31 मार्च तक	प्र0दिवस	44	236.99	10427.65
19	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0 फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र0हे0	10	690.00	6900.00
	योग				200234.16
			या–		200234.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–चुर्क
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र ।

प्राक्कलन माडल (अवनत वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – द्वितीय अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– 10 हे0
गड्ढों की संख्या– 3500
बोना नाली की संख्या– 2500
सुरक्षा खाई– 1200 र0मी0

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 3500
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 7500
कुल पौधो की संख्या–11000
मजदूरी दर– रू0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क0 सं0	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	10 प्रतिशत असफल गड्ढो में पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध ढुलान कार्य	प्र0पौ0	360	3.34	1202.40
2	10 प्रतिशत असफल गड्ढो में पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	350	2.83	991.76
3	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	350	3.12	1092.74
4	सफल गड्ढा पौध के थावलों की मरम्मत	प्र0गा0	3150	1.95	6134.49
5	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से0मी0 गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन ।	प्र0सै0	250	225.20	563.01
6	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्र0नाली	250	5.90	1475.00
7	गड्ढो पौध की निराई–गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य 03 बार	प्र0सै0	3500	106.12	11142.69
8	बोना नाली निराई गुड़ाई वर्ष में 02 बार	प्र0सै0पौ0	2500	317.75	15887.74
9	बोना नालियों की शीत कालीन निराई–गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र0सै0	2500	211.06	5276.42
10	तीन वर्षो की खुदी सुरक्षा खाई की उगरवाई औसत 40 प्रतिशत	प्र0र0मी0	480	28.12	13497.42
11	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी0 चौड़ाई में घास काटना	प्र0हे0	10	1003.38	10033.83
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र0दिवस	312	236.99	73941.50
13	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र0हे0	10	197.16	1971.60
14	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 किमी0	1	2843.90	2843.90
15	पुनः उगी लैण्टाना झाड़ी की सफाई 25 प्रतिशत से कम	प्र0हे0	10	2042.24	20422.42
16	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	10	692.11	6921.09
17	25 ग्राम यूरिया का छिड़काव 02 बार (एक बार अगस्त एवं दूसरा शीतकालीन वर्षा के बाद)	प्र0 पौ0 प्र0बार	11000	0.71	15620.00
18	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 16 फरवरी से 31 मार्च तक	प्र0दिवस	44	236.99	10427.65
19	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0 फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र0हे0	10	690.00	6900.00
	योग				206345.67
			या–		206346.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–जुगैल
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र ।

प्राक्कलन माडल (अवनत वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – तृतीय अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– 10 हे0
गड्ढों की संख्या– 3500
बोना नाली की संख्या– 2500
सुरक्षा खाई– 1200 र0मी0

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 3500
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 7500
कुल पौधो की संख्या–11000
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध ढुलान कार्य	प्र0पौ0	360	3.34	1202.40
2	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	350	2.83	991.76
3	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	350	3.12	1092.74
4	सफल गड्ढा पौध के थावलों की मरम्मत	प्र0ग0	3150	1.95	6134.49
5	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से0मी0 गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन ।	प्र0से0	250	225.20	563.01
6	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्र0नाली	250	5.90	1475.00
7	गड्ढो पौध की निराई–गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य 03 बार	प्र0से0	3500	106.12	11142.69
8	बोना नाली निराई गुड़ाई को वर्ष में 02 बार	प्र0से0मी0	2500	317.75	15887.74
9	बोना नालियों की शीत कालीन निराई–गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र0से0	2500	211.06	5276.42
10	चार वर्षो की खुदी सुरक्षा खाई की उगरवाई औसत 50 प्रतिशत	प्र0र0मी0	600	35.37	21224.18
11	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी0 चौड़ाई में घास काटना	प्र0हे0	10	1003.38	10033.83
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र0दिवस	312	236.99	73941.50
13	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र0हे0	10	197.16	1971.60
14	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 किमी0	1	2843.90	2843.90
15	पुनः उगी लैण्टाना झाड़ी की सफाई 25 प्रतिशत से कम	प्र0हे0	10	2042.24	20422.42
16	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	10	692.11	6921.09
17	25 ग्राम यूरिया का छिड़काव 02 बार (एक बार अगस्त एवं दूसरा	प्र0 पौ0	11000	0.71	15620.00
18	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 16 फरवरी से 31 मार्च तक	प्र0दिवस	44	236.99	10427.65
19	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम0आई0एस0 फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र0हे0	10	690.00	6900.00
	योग				214072.43
		या–			214072.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-जुगैल
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

प्राक्कलन माडल (अवनत वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – चतुर्थ अनुरक्षण कार्य (षष्टम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– 10 हे0
गड्ढों की संख्या– 3500
बोना नाली की संख्या– 2500
सुरक्षा खाई– 1200 र0मी0

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधों का लक्ष्य– 3500
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 7500
कुल पौधो की संख्या–11000
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	सुरक्षा खाई की उड़रवाई का कार्य औसत 50 प्रतिशत	600	प्रति र0मी0	35.37	10612.09
3	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	10	प्रति हे0	915.00	9149.95
4	अन्य व्यय	10	प्रति हे0	690.00	6900.00
			योग–		100603.55
			या–		100604.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – पंचम अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	सुरक्षा खाई की उड़रवाई का कार्य औसत 50 प्रतिशत	600	प्रति र0मी0	35.37	10612.09
3	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	10	प्रति हे0	915.00	9149.95
4	वर्ष में पौधों की लाइन में 01 मी0 चौड़ाई में घास कटाई रोपवनी क्षेत्र में	10	प्रति हे0	1003.38	10033.83
5	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	10	प्रति हे0	197.16	1971.60
6	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0 फ्रेंसिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल व्यय आदि)	10	प्रति हे0	690.00	6900.00
			योग–		112608.97
			या–		112609.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – षष्टम अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	10	प्रति हे0	915.00	9149.95
3	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	10	प्रति हे0	197.16	1971.60
					85063.06
			या–		85063.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–मुईल
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

प्राक्कलन माडल (अवनत वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – सप्तम अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

क्षेत्रफल– 10 हे0

रोपित पौधो का लक्ष्य– 3500

गड्ढों की संख्या– 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 7500

बौना नाली की संख्या– 2500

कुल पौधो की संख्या–11000

सुरक्षा खाई– 1200 र0मी0

मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	10	प्रति हे0	915.00	9149.95
3	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	10	प्रति हे0	197.16	1971.60
					85063.06
			या–		85063.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – अष्टम अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	10	प्रति हे0	915.00	9149.95
2	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	85	प्रति दिन	236.99	20144.32
3	अन्य व्यय	10	प्रति हे0	690.00	6900.00
			योग–		36194.27
			या–		42119

दर प्रति हे0 1408.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – नवम अनुरक्षण कार्य (एकादश वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	10	प्रति हे0	915.00	9149.95
2	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	85	प्रति दिन	236.99	20144.32
3	अन्य व्यय	10	प्रति हे0	690.00	6900.00
			योग–		36194.27
			या–		42119

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – दशम अनुरक्षण कार्य (द्वादश वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	10	प्रति हे0	915.00	9149.95
2	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	110	प्रति दिन	236.99	26069.12
3	अन्य व्यय	10	प्रति हे0	690.00	6900.00
			योग–		42119.07
			या–		42119

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-जुगैल
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

गैर वन भूमि (शुद्ध 04 हे0 सकल 15.567 हे0) क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य का वर्षवार सारांश

वर्ष	कार्य का नाम	भौतिक (हे0 में)	वर्तमान दर के अनुसार वॉछित धनराशि (लाख में)	10 प्रतिशत मंहगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजंसी से वॉछित धनराशि (3 X 4)
प्रथम	अग्रिम मृदा कार्य	4	6.65101	1	6.65101
द्वितीय	वृक्षारोपण कार्य	4	4.24715	1.1	4.67187
तृतीय	प्रथम अनुरक्षण कार्य	4	1.21491	1.21	1.47004
चतुर्थ	द्वितीय अनुरक्षण कार्य	4	1.21491	1.331	1.61705
पंचम	तृतीय अनुरक्षण कार्य	4	1.21491	1.4641	1.77875
षष्ठम	चतुर्थ अनुरक्षण कार्य	4	0.88343	1.6105	1.42276
सप्तम	पंचम अनुरक्षण कार्य	4	0.88343	1.7716	1.56508
अष्टम	षष्ठम अनुरक्षण कार्य	4	0.88343	1.9488	1.72163
नवम	सप्तम अनुरक्षण कार्य	4	0.88343	2.1437	1.89381
दशम	अष्टम अनुरक्षण कार्य	4	0.88343	2.3581	2.08322
एकादश	नवम् अनुरक्षण कार्य	4	0.88343	2.5939	2.29153
द्वादश	दशम अनुरक्षण कार्य	4	0.88343	2.8533	2.52069
योग			**20.72690**		**29.68743**

नोटः– उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 02/2024/707/36–03–2024–1619905 दिनांक 09.07.2024 द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर 237.00 निर्धारित किया गया है, तद्नुसार प्राक्कलन तैयार करते समय मजदूरी दर 237.00 के अनुसार दर प्रस्तावित/संशोधित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-सुगैल
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र ।

प्राक्कलन माडल (गैर वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र –अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– शुद्ध 04 हे0(सकल 15.567 हे0)
गड्ढों की संख्या– 1400
बोना नाली की संख्या– 1000

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 1400
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 3000
कुल पौधो की संख्या–4400
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण	प्र0हे0	15.567	63.85	994.01
2	क्षेत्र की स्थल सफाई लैण्टाना युक्त 50 % से अधिक घनत्व	प्र0हे0	4	4086.64	16346.55
3	अ. रेखांकन बोना नाली	प्र0सै0	1000	159.18	1591.76
	ब. रेखांकन गड्ढा	प्र0सै0	1400	48.11	673.53
4	अग्रिम मृदा कार्य			0.00	
	अ– बोना नाली (3.00x0.60x0.45) मी0 (यांत्रिक विधि द्वारा)	प्र0बो0ना0	1000	69.46	69460.00
	ब– गड्ढा खुदान (0.45x0.45x0.45) मी0	प्र0ग0	1400	12.26	17166.46
5	पौध उगान प्रति हे0 550 पौध	प्रति पौध	2200	5.18	11396.00
6	3.00 मी0 चौड़ा निरीक्षण मार्ग का निर्माण	प्र0किमी0	0.5	5705.49	2852.74
7	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र0हे0	15.567	197.16	3069.19
8	आर0सी0सी0 खम्भों का मूल्य कर सहित	प्रति	780	416.28	324699.65
9	कांटेदार तार का मूल्य (200 रनिंग प्रति हे0 घेरबाड़ के आधार पर–5 लड़ में)	प्रति टन	2.34	84892.00	198647.28
10	प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य	प्र0 हे0	15.567	692.11	10774.07
11	अन्य विविध व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0	प्रति हे0	15.567	L.S.	7430.00
		योग–			665101.25
		या–			665101.00

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-कुलील
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्राक्कलन माडल (गैर वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– शुद्ध 04 हे0(सकल 15.567 हे0)
गड्ढों की संख्या– 1400
बोना नाली की संख्या– 1000

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 1400
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 3000
कुल पौधो की संख्या–4400
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढे का भरान कार्य	प्र0ग0	1400	1.41	1976.31
2	ड्रेसिंग कार्य बोना नाली	प्र0ना0	1000	3.12	3122.11
3	बीज मूल्य (बोना नाली)	प्र0बो0ना0	1000	5.90	5900.00
4	बीज बुआई कार्य बोनानाली पर	प्र0ना0	1000	2.47	2472.96
5	पौध अनुरक्षण कार्य	प्र0पौध	2200	1.76	3872.00
6	पौध ढुलान कार्य (3% अतिरिक्त) लदाई उतराई सहित छोटी	प्र0पौध	1442	3.34	4816.28
7	पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	1400	2.83	3967.04
8	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	1400	2.83	3967.04
9	रोपित पौधो की निराई गुड़ाई कार्य वर्ष में 03 बार	प्र0सै0पौ0	1400	106.12	4457.08
10	बोना नाली निराई गुड़ाई कार्य वर्ष में 03 बार	प्र0सै0पौ0	1000	389.09	11672.68
11	रोपवानी प्रहरी का पारिश्रमिक जुलाई से मार्च	प्रति दिन	234	209.17	48946.06
12	रोपवनी बोर्ड एवं गेट के निर्माण एवं लगवाई सहित	प्र0 क्षेत्र	1	5323.18	5323.18
13	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र0हे0	15.567	197.16	3069.19
14	25 ग्राम यूरिया का छिड़काव 02 बार (एक बार अगस्त एवं दूसरा	प्र0 गड्ढा	4400	0.71	6248.00
15	वर्ष में पौधों की लाइन में 01 मी0 चौड़ाई में घास कटाई रोपवनी	प्र0हे0	15.567	1003.38	15619.66
16	आर0सी0सी0 खम्भों की ग्राउटिंग	प्रति	780	231.97	180939.68
17	खम्भों का स्थानीय ढुलान	प्रति सै0	780	301.50	150.75
18	तार की खिंचाई रनिंग मी0	प्रति	15567	6.03	93835.39
19	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	15.567	692.11	10774.07
20	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 किमी0	1	2843.90	2843.90
21	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0	प्र0हे0	15.567	690.00	10741.23
		योग–			424714.61
		या–			424715.00

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–जुगैल
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

प्राक्कलन माडल (गैर वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – प्रथम अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– शुद्ध 04 हे0(सकल 15.567 हे0)
गड्ढों की संख्या– 1400
बोना नाली की संख्या– 1000

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 1400
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 3000
कुल पौधो की संख्या–4400
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध ढुलान कार्य	प्र0पौ0	145	3.34	484.30
2	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	145	2.83	410.87
3	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	145	3.12	452.71
4	सफल गड्ढा पौध के थावलों की मरम्मत	प्र0ग0	1255	1.95	2444.06
5	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से0मी0 गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन ।	प्र0सै0	100	225.20	225.20
6	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्र0नाली	100	5.90	590.00
7	गड्ढो पौध की निराई–गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य 03 बार	प्र0सै0	1400	106.12	4457.08
8	बोना नालियों की निराई–गुड़ाई 02 बार	प्र0सै0	1000	317.75	6355.10
9	बोना नालियों की शीत कालीन निराई–गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र0हे0	1000	211.06	2110.57
10	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी0 चौडाई में घास काटना	प्र0दिवस	4	1003.38	4013.53
11	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र0हे0	312	236.99	73941.50
12	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय/अन्य व्यय	प्र0हे0	15.567	197.16	3069.19
13	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	15.567	692.11	10774.07
14	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 किमी0	0.5	2843.90	1421.95
15	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0 फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र0हे0	15.567	690.00	10741.23
	योग				121491.35
			या–		121491.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–जुगैल
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

प्राक्कलन माडल (गैर वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – द्वितीय अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– शुद्ध 04 हे0(सकल 15.567 हे0)
गड्ढों की संख्या– 1400
बोना नाली की संख्या– 1000

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 1400
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 3000
कुल पौधो की संख्या–4400
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध ढुलान कार्य	प्र0पौ0	145	3.34	484.30
2	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	145	2.83	410.87
3	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	145	3.12	452.71
4	सफल गड्ढा पौध के थावलों की मरम्मत	प्र0ग0	1255	1.95	2444.06
5	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से0मी0 गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन ।	प्र0सै0	100	225.20	225.20
6	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्र0नाली	100	5.90	590.00
7	गड्ढो पौध की निराई–गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य 03 बार	प्र0सै0	1400	106.12	4457.08
8	बोना नालियों की निराई–गुड़ाई 02 बार	प्र0सै0	1000	317.75	6355.10
9	बोना नालियों की शीत कालीन निराई–गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र0हे0	1000	211.06	2110.57
10	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी0 चौड़ाई में घास काटना	प्र0दिवस	4	1003.38	4013.53
11	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र0हे0	312	236.99	73941.50
12	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय/अन्य व्यय	प्र0हे0	15.567	197.16	3069.19
13	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	15.567	692.11	10774.07
14	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 किमी0	0.5	2843.90	1421.95
15	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0 फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र0हे0	15.567	690.00	10741.23
	योग				121491.35
			या–		121491.00

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-जुगैल
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्राक्कलन माडल (गैर वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – तृतीय अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग। | योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

क्षेत्रफल– शुद्ध 04 हे0(सकल 15.567 हे0) | रोपित पौधो का लक्ष्य– 1400

गड्ढ़ों की संख्या– 1400 | पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 3000

बोना नाली की संख्या– 1000 | कुल पौधो की संख्या–4400

मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध ढुलान कार्य	प्र0पौ0	145	3.34	484.30
2	10 प्रतिशत असफल गड्ढों में पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय ढुलान सहित	प्र0पौध	145	2.83	410.87
3	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास	प्र0पौध	145	3.12	452.71
4	सफल गड्ढा पौध के थावलों की मरम्मत	प्र0ग0	1255	1.95	2444.06
5	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से0मी0 गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन ।	प्र0सै0	100	225.20	225.20
6	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्र0नाली	100	5.90	590.00
7	गड्ढो पौध की निराई–गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य 03 बार	प्र0सै0	1400	106.12	4457.08
8	बोना नालियों की निराई–गुड़ाई 02 बार	प्र0सै0	1000	317.75	6355.10
9	बोना नालियों की शीत कालीन निराई–गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र0हे0	1000	211.06	2110.57
10	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी0 चौड़ाई में घास काटना	प्र0दिवस	4	1003.38	4013.53
11	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र0हे0	312	236.99	73941.50
12	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय/अन्य व्यय	प्र0हे0	15.567	197.16	3069.19
13	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र0हे0	15.567	692.11	10774.07
14	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र0 किमी0	0.5	2843.90	1421.95
15	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ0आई0एस0 फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र0हे0	15.567	690.00	10741.23
	योग				121491.35
			या–		121491.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज–जुगैल
ओबरा वन प्रभाग–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

प्राक्कलन माडल (गैर वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – चतुर्थ अनुरक्षण कार्य (षष्टम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– शुद्ध 04 हे0(सकल 15.567 हे0)
गड्ढों की संख्या– 1400
बोना नाली की संख्या– 1000

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 1400
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 3000
कुल पौधो की संख्या–4400
मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	4	प्रति हे0	915.00	3659.98
3	अन्य व्यय	15.567	प्रति हे0	690.00	10741.23
			योग–		88342.71
			या–		88343.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – पंचम अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	4	प्रति हे0	915.00	3659.98
3	अन्य व्यय	15.567	प्रति हे0	690.00	10741.23
			योग–		88342.71
			या–		88343.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – षष्टम अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	4	प्रति हे0	915.00	3659.98
3	अन्य व्यय	15.567	प्रति हे0	690.00	10741.23
			योग–		88342.71
			या–		88343.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-जुगैल
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

प्राक्कलन माडल (गैर वन भूमि)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – सप्तम अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।
क्षेत्रफल– शुद्ध 04 हे0(सकल 15.567 हे0)
गड्ढों की संख्या– 1400
बोना नाली की संख्या– 1000

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।
रोपित पौधो का लक्ष्य– 1400
पौध संख्या बीज बुआन द्वारा– 3000
कुल पौधो की संख्या–4400
मजदूरी दर– रू0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	4	प्रति हे0	915.00	3659.98
3	अन्य व्यय	15.567	प्रति हे0	690.00	10741.23
			योग–		88342.71
			या–		88343.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – अष्टम अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	4	प्रति हे0	915.00	3659.98
3	अन्य व्यय	15.567	प्रति हे0	690.00	10741.23
			योग–		88342.71
			या–		88343.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – नवम अनुरक्षण कार्य (एकादश वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	4	प्रति हे0	915.00	3659.98
3	अन्य व्यय	15.567	प्रति हे0	690.00	10741.23
			योग–		88342.71
			या–		88343.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र – दशम अनुरक्षण कार्य (द्वादश वर्ष)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फायर वाचर/सुरक्षा श्रमिक	312	प्रति दिन	236.99	73941.50
2	पौधों की प्रजातिवार माह जून व दिसम्बर में गणना	4	प्रति हे0	915.00	3659.98
3	अन्य व्यय	15.567	प्रति हे0	690.00	10741.23
			योग–		88342.71
			या–		88343.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-जुगैल
ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।

जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सापेक्ष सम्पर्क मार्ग के दोनो तरफ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थलवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण:–

क्र0 सं0 (अ)	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	रोपित किये जाने वाले ब्रिकगार्डों की संख्या	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	ओबरा वन प्रभाग	ओबरा	चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग के किनारे	530	23.04970	24.45961
			योग:–	**530**	**23.04970**	**24.45961**

संलग्नक:– वर्षवार मॉडल प्राक्कलन।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ओबरा सोनभद्र।
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

D:\Caumpa Employe\CAMPA CA ESTIMAte\New folder (3)\Brickgaurd estimate 530 - 237

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 100 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण का वर्षवार सारांश

वर्ष	भौतिक (हे0 में)	वर्तमान दर के अनुसार वॉछित धनराशि (लाख में)	10 प्रतिशत मंहगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजंसी से वॉछित धनराशि (3 X 4)
प्रथम	100	3.30900	1	3.30900
द्वितीय	100	0.47300	1.1	0.52030
तृतीय	100	0.38600	1.21	0.46706
चतुर्थ	100	0.06200	1.331	0.08252
पंचम	100	0.01700	1.4641	0.02489
षष्ठम	100	0.01700	1.6105	0.02738
सप्तम	100	0.01700	1.7716	0.03012
अष्टम	100	0.01700	1.9488	0.03313
नवम	100	0.01700	2.1437	0.03644
दशम्	100	0.01700	2.3581	0.04009
एकादश	100	0.01700	2.5939	0.04410
योग		4.34900		4.61502

नोटः– उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 02/2024/707/36–03–2024–1619905 दिनांक 09.07.2024 द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर 237.00 निर्धारित किया गया है, तदनुसार प्राक्कलन तैयार करते समय मजदूरी दर 237.00 के अनुसार दर प्रस्तावित/संशोधित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा सोनभद्र।
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा,
ओबरा सोनभद्र।
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

D:\Caumpa Employe\CAMPA CA ESTIMAte\New folder (3)\Brickgaurd estimate 530 - 237

प्राक्कलन माडल (ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– ब्रिकगार्ड निर्माण एवं रोपण (प्रथम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग।

योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

ब्रिकगार्ड की संख्या– 100

मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	स्थल सफाई एवं मलवा फिकवाई व गड्ढा खुदान	प्रति गड्ढा	100	23.70	2369.92
2	गड्ढों में गोबर खाद	प्रति गड्ढा	100	10.95	1095.00
3	गड्ढों में कीटनाशक दवा क्रय तथा मिलाना	प्रति गड्ढा	100	1.74	174.00
4	गड्ढों मे गोबर की खाद मिलाकर भरना	प्रति गड्ढा	100	1.89	188.56
5	पौधों का मूल्य ढुलान सहित (विभागीय पौधशाला से)	प्रति पौध	100	100.15	10015.00
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	प्रति पौध	100	2.85	285.00
7	पौधरोपण सिंचाई व थावला बनवाई	प्रति पौध	100	6.64	663.58
8	ब्रिकगार्ड का निर्माण मोनोग्राम सहित	प्रति ब्रिकगार्ड	100	3100.00	310000.00
9	पौधों की सिंचाई मय डीजल की कीमत आदि (5 बार)	प्रति पौध	500	7.87	3935.00
10	पौधों की निराई–गुड़ाई एवं थावला बनवाई (2 बार)	प्रति पौध	200	1.52	305.00
11	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	प्रति पौध	100	18.89	1889.00
		योग–			330920.06
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			3309.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 12 बार	प्रति पौध	1200	9.48	11375.62
2	पौधों की सिंचाई अक्टूबर से फरवरी तक (5 बार)	प्रति पौध	500	7.95	3977.34
3	पौधों की निराई–गुड़ाई (2 बार)	प्रति पौध	200	1.52	305.00
4	ब्रिकगार्डो की मरम्मत पायों का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित	प्रति	100	304.01	30401.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	12.24	1224.00
		योग–			47282.96
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			473.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
ओबरा–सोनभद्र

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग। योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

ब्रिकगार्डो की संख्या– 100 मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधां की सिचाई मार्च से जून (08 बार)	प्रति पौध	100	75.84	7583.74
2	रासायनिक उर्वरक	प्रति पौध	100	1.12	112.00
3	पौधों की निराई–गुड़ाई (2 बार)	प्रति पौध	100	3.05	305.00
4	ब्रिकगार्डो की मरम्मत पौधो का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित	प्रति	100	304.01	30401.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			38569.74
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			386.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधां की सिचाई अप्रैल से जून (03 बार)	प्रति पौध	100	28.44	2843.90
2	पौधों की निराई–गुड़ाई (01 बार)	प्रति पौध	100	1.52	152.50
3	पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग एवं छंटाई	प्रति पौध	100	1.96	195.78
4	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
6	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	27.68	2767.65
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			6233.83
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			62.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	13.84	1383.83
2	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			1657.83
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			17.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।

उप प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

D:\Caumpa Employe\CAMPA CA ESTIMAte\New folder (3)\Brickgaurd estimate 530 - 237

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्टम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग। योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

ब्रिकगार्डो की संख्या– 100 मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	13.84	1383.83
2	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			1657.83
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			17.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (सप्तम वर्ष)

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	13.84	1383.83
2	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			1657.83
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			17.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (अष्टम वर्ष)

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	13.84	1383.83
2	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			1657.83
		या प्रति ब्रिकगार्ड–			17.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
ओबरा–सोनभद्र

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (नवम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग। | योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

ब्रिकगार्डो की संख्या– 100 | मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	13.84	1383.83
2	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			1657.83
			या प्रति ब्रिकगार्ड–		17.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (दशम वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग। | योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

ब्रिकगार्डो की संख्या– 100 | मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	13.84	1383.83
2	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			1657.83
			या प्रति ब्रिकगार्ड–		17.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र– वृक्षारोपण अनुरक्षण (एकादश वर्ष)

प्रभाग का नाम– ओबरा वन प्रभाग। | योजना का नाम–कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

ब्रिकगार्डो की संख्या– 100 | मजदूरी दर– रु0 237.00 प्रति मानव दिवस।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	अनुमानित दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक सम्पूर्ण वर्ष	प्रति पौध	100	13.84	1383.83
2	जीवित पौधों की गणना एवं पंजिका का रखरखाव	प्रति पौध	100	1.06	106.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति पौध	100	1.68	168.00
		योग–			1657.83
			या प्रति ब्रिकगार्ड–		17.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा–रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

D:\Caumpa Employe\CAMPA CA ESTIMAte\New folder (3)\Brickgaurd estimate 530 - 237

Ph. & Fax No. : 05446 – 252169
E – mail ID : dlmren@upfc.in

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, रेनुकूट–सोनभद्र

पत्रांक : 730 / उत्पादन सामान्य / दिनांक : 02.09.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा–सोनभद्र।

विषय:– **जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या– यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:– **आपका पत्रांक–428 / ओबरा / 15 भू0ह0 / दिनांक–13.08.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या– यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन में होने वाले व्यय के धनराशि एवं भुगतान सम्बन्धी खाते का विवरण की मांग की गयी है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ के पत्रांक उ0–2264 / कार्यदायी संस्था / प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना / दिनांक–28.06.2024 में दिये गये निर्देश के कम में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त पत्र के अनुसार देय धनराशि अनंतिम है, जिसका अंतिम रूप उपरोक्त वृक्षों की विकय सूची एवं छपान सूची प्राप्त कराने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। खाता का विवरण निम्न प्रकार है–

Name of Beneficiary	Managing Director, U.P Forest Corporation
A/C No.	29690200015824
IFSC Code	BARBOINDIRA
Bank and Branch	Bank of Baroda, Munshi Pulia, Indira Nagar, Lucknow

भवदीय

(ललिता प्रसाद)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उ0प्र0 वन निगम, रेनुकूट

1190
05/09/2024

उत्तर प्रदेश वन निगम

वेबसाइट– www.upforestcorporation.com
(कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)
अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ–16

पत्रांक उ0–2254 /कार्यदायी संस्था/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दिनांक 28/06/24

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, ई–मेल
वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत आवटित किये जाने वाले वृक्षों के पातन सम्बन्धी धनराशि का प्रेषण।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक उ0–2005/कार्यदायी संस्था/प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना दिनांक 18.06.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यदायी संस्थाओं एवं अन्य विभागों से विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले वृक्षों के पातन हेतु व्यासवार उ0प्र0 वन निगम को देय धनराशि का प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:–

विभिन्न विकास योजनाओं में बाधक वृक्षों के पातन में प्रायः यह तथ्य सामने आता रहा है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण व अन्य मदों में भुगतान की गयी धनराशि में ही उत्तर प्रदेश वन निगम को कटान, ढुलान आदि हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि को समाहित हुआ समझ लिया जाता है। इस कारण से प्रायः सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कटान, दुलान आदि हेतु मांगी जाने वाली धनराशि में संशय की स्थिति बनी रहती है।

कतिपय विभागों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण व अन्य मदों हेतु मांगी जा रही धनराशि के साथ–साथ उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किये जाने वाले कटान, ढुलान व अन्य व्ययों की धनराशि यदि साथ–साथ ही मांग ली जाय, तो विभागों/कार्यदायी संस्थाओं को सहूलियत होगी एवं बजट स्वीकृत कराने में सुगमता/आसानी होगी।

उक्त के दृष्टिगत विभिन्न प्रजातियों एवं उनके व्यास वर्ग/कक्ष तथा संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश वन निगम की ओर से सम्मिलित की जाने वाली धनराशि के तत्काल गणना सम्बन्धी तालिका (Ready Reckoner Table) संलग्नकर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने प्रभागों से विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित करते समय योजना में अंतर्ग्रस्त बाधक वृक्षों के कटान की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रजाति व्यास वर्ग/कक्ष व संख्या के आधार पर तदनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बन्धित धनराशि की माँग सम्बन्धित विभाग को दिये जा रहे माँग पत्र में सम्मिलित कराने का कष्ट करें, जिससे सम्बन्धित विभाग द्वारा आरंभिक स्तर पर ही वांछित भुगतान संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

उक्त के क्रम में आगे यह सूचित करना है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचित धनराशि अनंतिम है। इसमें यदि किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो अलग से सूचित किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना में कटान, ढुलान आदि हेतु प्राप्त उक्त धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा की जायेगी, जिससे सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है:–

P.T.O.

10

Name of Beneficiary	Managing Director, U.P. Forest Corporation
A/C No.	29690200015824
IFSC Code	BARB0INDIRA
Bank and Branch	Bank of Baroda, Munshi Pulia, Indira Nagar Lucknow

उपरोक्त धनराशि जमा किये जाने की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को अनिवार्य रुप से दी जाये।

पुनः स्पष्ट करना है कि सूचित देय धनराशि अनंतिम है, जिसका अंतिम रुप से समायोजन उ0प्र0 वन निगम को प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सम्प्रति प्रतिपादित प्राविधानों के अंतर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अनुपम गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक उ0–2264 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, कानपुर मण्डल, आगरा मण्डल, गोरखपुर मण्डल, मध्य क्षेत्र लखनऊ, रुहेलखण्ड बरेली, बुन्देलखण्ड झाँसी, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ, दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर, वन्यजीव (पूर्वी), गोण्डा, वन्य जीव (पश्चिमी), कानपुर एवं मुख्य वन संरक्षक व फील्ड निदेशक, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झाँसी, अलीगढ़, बस्ती, आजमगढ़, बरेली, सरयू (अयोध्या), चित्रकूट धाम बांदा, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवीपाटन।

(अनुपम गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक उ0– 2264 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक उ0–2264 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महाप्रबन्धक (विपणन, उद्योग, बरेली, पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्पादन), उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ एवं खीरी।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक (मुख्यालय को छोड़कर), उ0प्र0 वन निगम।
3. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग/विक्रय अधिकारी उ0प्र0 वन निगम।
4. मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।

28/6/24

(अनुपम गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक–1

प्रदायी संस्थाओं एवं अन्य विभागों से विभिन्न विकास परियोजनाओं में प्राप्त होने ने वृक्षों के पातन हेतु व्यासवार उत्तर प्रदेश वन निगम को देय अनन्तिम धनराशि

व्यास वर्ग (से.मी. में)	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समस्त प्रजातियाँ (यूकेलिप्टस को छोड़कर)	80	250	800	3000	6000	9000	11000	14000	18000	24000

(अनुपम गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक–2

कार्यदायी संस्थाओं एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं में यूकेलिप्टस प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु व्यासवार उत्तर प्रदेश वन निगम को देय अनन्तिम धनराशि

क्र.सं.	व्यास वर्ग (से0मी0 में0)	धनराशि (रु0 में)
1	2	3
1	0–5	20
2	5–10	80
3	10–15	250
4	15–20	600
5	20–25	1500
6	25–30	2500
7	30–35	3200
8	35–40	4500
9	40–45	4800
10	45–50	6000
11	50–55	7000
12	55–60	8500
13	60–65	9500
14	65–70	11000
15	70–75	12000
16	75–80	15000
17	80–85	17000
18	85–90	19000
19	90 >	21000

(अनुपम गुप्ता)

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक– 503 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 02-09- 2024.

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 कानपुर।

विषयः– जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/ 98 दिनांक–05.08.2024, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–358 /11–री दिनांक–06.08.2024.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी/यू0पी0/06/03 /2024/एफ0सी0 /98 दिनांक–05.08.2024 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किया गया है तथा पत्र संख्या–08बी/ यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक–27.08.2024 द्वारा शर्त संख्या 2 व 5 को संशोधित किया गया है। सम्पर्क मार्ग में कुल 34 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, वृक्षो के प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में शर्त संख्या 9 निम्नानुसार है:–

9. The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.

उक्त के क्रम मे महोदय से अनुरोध है कि प्रभावित होने वाले वृक्षो के प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में परामर्श एवं मार्गदर्शन देने की कृपा करें।

संलग्नक- भारत सरकार का पत्र दि०-05-08-2024

भवदीय,

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 503 अ/तम दिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
E-mail : [illegible]

पत्र सं0 : 8बी / यू0पी0 / 06 / 03 / 2024 / एफ.सी. /110 दिनांक : 27.08.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/117639/2021

विषय: जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यूपी 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी का पत्रांक 3892 / 11–सी–FP/UP/ROAD/117639/2021, दिनांक 26.08.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 338 / 81–2–2024–800(283) / 2023, दिनांक 20.02.2024 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम–संख्यक पत्र दिनांक 05.08.2024 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें शर्त संख्या 02 एवं 05 में निम्नलिखित शर्त अधिरोपित की गयी थी :–

2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of **15.567 ha.** Non Forest Land (NFL) & **23.134 ha.** Degraded Forest Land (DFL) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows:-

S.No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division.
1.	5380 Kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha. (NFL)	Obra Forest Division
2.	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha. (NFL)	
3.	5384, Village Jugail	0.5411 ha. (NFL)	
4.	5385 Kha, Village Jugail	1.3218 ha. (NFL)	
5.	5382 Ka Mi, Village Jugail	10.9227 ha. (NFL)	
6.	Compartment No. 7, Jugail Range	13.134 ha. (DFL)	
7.	Compartment No. 8, Dala Range	10.00 ha. (DFL)	

5. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 02 एवं 05 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of **4.00 ha.** Non Forest Land (NFL) suitable for plantation out of **15.567 ha.** Non Forest Land (NFL) provided for CA & **23.134 ha.** Degraded Forest Land (DFL) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows:-

S. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha.)	Name of Forest Division.
1.	5380 Kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha. (NFL)	Out of 15.567 ha. Non Forest Land (NFL) CA plantation shall be carried out on **4.00 ha.** NFL as per CA scheme.	Obra Forest Division
2.	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha. (NFL)		
3.	5384, Village Jugail	0.5411 ha. (NFL)		
4.	5385 Kha, Village Jugail	1.3218 ha. (NFL)		
5.	5382 Ka Mi, Village Jugail	10.9227 ha. (NFL)		
6.	Compartment No. 7, Jugail Range	13.134 ha. (DFL)	**23.134 ha.**	
7.	Compartment No. 8, Dala Range	10.00 ha. (DFL)		

5. The non-forest land of **15.567 ha.** provided for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.

सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
5. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

1042
33

29/08/24

28/08/2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक- 568 /11-सी-FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 28 ,2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

भारत सरकार

Government of India

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 11[th] Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024

Email : [illegible], Phone No : 0522-[illegible]

पत्र सं0 : 8बी / यूपी0 / 06 / 03 / 2024 / एफ.सी./98

सेवा में,

दिनांक : 05.08.2024

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/117639/2021

विषय: जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यूपी 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई बाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी का पत्रांक 3892 / 11–सी–FP/UP/ROAD/117639/2021, दिनांक 28.06.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 338 / 81–2–2024–800(283) / 2021, दिनांक 28.02.2024 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण को दिनांक 12.07.2024 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda Item 8.1-UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यूपी 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई बाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of **15.567 ha.** Non Forest Land (NFL) & 23.134 ha. Degraded Forest Land (DFL) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows:-

S.No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division.
1.	5380 Kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha. (NFL)	Obra Forest Division
2.	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha. (NFL)	
3.	5384, Village Jugail	0.5411 ha. (NFL)	
4.	5385 Kha, Village Jugail	1.3218 ha. (NFL)	
5.	5382 Ka Mi, Village Jugail	10.9227 ha. (NFL)	
6.	Compartment No. 7, Jugail Range	13.134 ha. (DFL)	
7.	Compartment No. 8, Dala Range	10.00 ha. (DFL)	

3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. Forest land will be handed over only after required non-forest land **(15.567 ha.)** for the project is handed over by the user agency.

[illegible] proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.

6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the **15.567** ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regards.

7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

8. User agency shall restrict the felling of trees to 34 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

9. The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.

10. **Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plants.**

11. **Non Forest Land (NFL) provided for CA shall be adequately fenced for complete protection.**

12. The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

13. No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided.

14. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jajoo vs State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.

15. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

16. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

17. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

18. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

19. No labour camp shall be established on the forest land.

20. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

21. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

22. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

23. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

24. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

25. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

26. The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

27. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects [illegible] work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
28. The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
29. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
30. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal* (https://parivesh.nic.in).
31. The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (https://parivesh.nic.in).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एचo), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/ आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक- 358 /11-सी-FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनॉकः अगस्त 06 , 2024

<u>प्रतिलिपिः-</u> मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः-</u> प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करके सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम ऑनलाइन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः-</u> अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।